2025/8

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री भगवानाराम पुत्र श्री खंगाराराम निवासी होटल अशोका चाचा म्यूजियम के पास, आबूपर्वत। जिला सिरोही। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा |

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 02 वर्ष 2025

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.01.2025 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 16.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / 1198 दिनांक 01.10.2024 पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 16.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / 1198 दिनांक 01.10.2024 पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner